

अ. क्र.	घटक, उपघटक व बावी	वैयक्तिक / सामुदायिक / सार्वजनिक	परिमाण	प्रकल्प अर्थसहाय्य	अनुदान रु.लाख	एकूण मागणी (भौतिक)	आवश्यक निधी (रु. लाख)	२०१८-१९		२०१९-२०		२०२०-२१		एकूण	
								भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
३.५	पॉलीहाउस/ शेडनेट हाऊसमध्ये भाजीपाला/ फुलपिकाचे उच्च मल्यांकित लागवड साहित्य	वैयक्तिक	क्षेत्र	५०%	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३.६	पॉली टनेलमध्ये भाजीपाला/ फुलपिकाचे उच्च मल्यांकित लागवड साहित्य	वैयक्तिक	क्षेत्र	५०%	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एकूण संरक्षित शेती						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४ एकात्मिक शेती पद्धती															
४.१	बंदिस्त शेळीपालन	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.50	12.00	6.00	12.00	6.00	-	-	-	-	12.00	6.00
४.२	कुकूट पालन	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.03	4.00	0.10	4.00	0.10	-	-	-	-	4.00	0.10
४.३	रथीम उद्योग	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४.४	मधुमक्षिका पालन	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४.५	गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४.६	इतर कृषि आधारित उद्योग	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.50	2.00	1.00	-	-	2.00	1.00	-	-	2.00	1.00
एकूण एकात्मिक शेती						18.00	7.10	16.00	6.10	2.00	1.00	-	-	18.00	7.10
५ जमीन आरोग्य सुधारणे															
५.१	गांडूळ खत आणि नाडेप पद्धतीने सेंद्रिय निविघ्रा उत्पादन	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.05	4.00	0.20	4.00	0.20	-	-	-	-	4.00	0.20
५.२	सेंद्रिय खत निर्मिती युनिट	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एकूण जमिन आरोग्य सुधारणे						4.00	0.20	4.00	0.20	-	-	-	-	4.00	0.20
II पाण्याचा कार्यक्षम व शाश्वत पद्धतीने वापर															
१ क्षेत्र उपचार															
1.1	सलग समतल चर मॉडेल 5 ते 8 (०.३० मी)	सार्वजनिक	क्षेत्र	१००%	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	सलग समतल चर मॉडेल 5 ते 8 (०.45 मी)	सार्वजनिक	क्षेत्र	१००%	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	खोल सलग समपातळी चर	सार्वजनिक	क्षेत्र	१००%	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ओघळीवरचे उपचार															
2.1	अनगड दगडाचे बांध	सार्वजनिक	संख्या	१००%	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	गॅबियन स्ट्रक्टर	सार्वजनिक	संख्या	१००%	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	माती नाला बांध	सार्वजनिक	संख्या	१००%	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	सिमेंट नाला बांध	सार्वजनिक	संख्या	१००%	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 पाणी साठवण संरचनांची निर्मिती															
3.1	सामुदायिक शेततळे-अस्तरीकरण सह (१००X१००X३ मी)	सामुदायिक	संख्या	१००%	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३.२	सामुदायिक शेततळे-अस्तरीकरण सह (३४X३४X४.७ मी)	सामुदायिक	संख्या	१००%	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३.३	सामुदायिक शेततळे अस्तरीकरण शिवाय (१००X१००X३ मी)	सामुदायिक	संख्या	५०%	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३.४	सामुदायिक शेततळे - अस्तरीकरणसह (44X44X5.4 मी)	सामुदायिक	संख्या	१००%	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३.५	सामुदायिक शेततळे - अस्तरीकरणसह (24X24X4 मी)	सामुदायिक	संख्या	१००%	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३.६	सामुदायिक शेततळे - अस्तरीकरणसह (14X14X3 मी)	सामुदायिक	संख्या	१००%	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३.७	शेततळे-अस्तरीकरणसह (३०X३०X३ मी)	वैयक्तिक	संख्या	५०%	1.25	1.00	1.25	1.00	1.25	-	-	-	-	1.00	1.25
३.८	शेततळे - अस्तरीकरणसह (20 X 15 X 3 मी)	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३.९	शेततळे अस्तरीकरणशिवाय(३०X३०X३ मी)	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४.०	शेततळ्यांचे बळकटीकरण (अस्तरीकरण)	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४.१	विहिरी	वैयक्तिक	संख्या	१००%	2.50	2.00	5.00	2.00	5.00	-	-	-	-	2.00	5.00
4 जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन (गाळ काढणे/ खोलीकरण/ दुरुस्ती)		सार्वजनिक	संख्या	१००%	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 भूजल पुनर्भरण															
५.१	विहिरीचे / कूपनलिकांचे पुनर्भरण करणे	वैयक्तिक	संख्या	१००%	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एकूण पाण्याचा कार्यक्षम व शाश्वत वापर						3.00	6.25	3.00	6.25	-	-	-	-	3.00	6.25
6 सलस्थानी जलसंधारण															
६.१	(शेत बांध बंदिस्ती/ढाळीचे बांधबंदिस्ती)	वैयक्तिक	क्षेत्र	१००%	0.09	55.00	4.95	55.00	4.95	-	-	-	-	55.00	4.95
7 सूक्ष्म सिंचन															
7.1	टिबक सिंचन	वैयक्तिक	क्षेत्र	५०%	0.60	4.00	2.40	4.00	2.40	-	-	-	-	4.00	2.40
7.2	तूपार सिंचन	वैयक्तिक	क्षेत्र	५०%	0.13	10.00	1.25	10.00	1.25	-	-	-	-	10.00	1.25
एकूण सूक्ष्म सिंचन						14.00	3.65	14.00	3.65	-	-	-	-	14.00	3.65
8 संरक्षित सिंचनाकरिता पाण्याची उपलब्धता															
8.1	पाणी उपसा साधने (पंपसंच)	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.10	6.00	0.60	6.00	0.60	-	-	-	-	6.00	0.60

अ. क्र.	घटक, उपघटक व बावी	वैयक्तिक / सामुदायिक / सार्वजनिक	परिमाण	प्रकल्प अर्थसहाय्य	अनुदान रु.लाख	एकूण मागणी (भौतिक)	आवश्यक निधी (रु. लाख)	२०१८-१९		२०१९-२०		२०२०-२१		एकूण	
								भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
8.2	पाईप (एचडीपीई/ पीव्हीसी)	वैयक्तिक	संख्या	५०%	0.15	10.00	1.50	10.00	1.50	-	-	-	-	10.00	1.50
	एकूण संरक्षित सिंचनाकरिता पाणी उपलब्धता					16.00	2.10	16.00	2.10	-	-	-	-	16.00	2.10
III	काढणी पश्चात व्यवस्थापन व हवामान अनुकूल मूल्य साखळीचे बळकटीकरण														
1	पायाभूत सुविधा निर्माण करणे														
1.1	पंकहाऊस	सामुदायिक	संख्या	५०%	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	प्रतवारी व संकलन केंद्र	सामुदायिक	संख्या	४०%	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	गोदाम	सामुदायिक	संख्या	५०%	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र	सामुदायिक	संख्या	४०%	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	पूर्व शीतकरण गृह	सामुदायिक	संख्या	३५%	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	शीतगृह	सामुदायिक	संख्या	३५%	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	रायपनिंग चेंबर	सामुदायिक	संख्या	३५%	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	कांदा चाळ	सामुदायिक	संख्या	५०%	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	स्थायी /फिरते विक्री केंद्र	सामुदायिक	संख्या	५०%	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	शेतमाल वाहतूकीकरिता वाहन/ शीतवाहन	सामुदायिक	संख्या	३५%	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	एकूण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	भाडे तत्वावर कृषि अवजारे केंद्र -सुविधा निर्मिती	सामुदायिक	संख्या	५०%	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३	हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत आणि प्रमाणित बियाणे तयार करणे	सामुदायिक	क्षेत्र	१००%	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	बियाणे हब-पायाभूत सुविधांच्या विकास करणे														
4.1	बियाणे प्रक्रिया उपकरणे १००० मे.टन क्षमतेसाठी	सामुदायिक	संख्या	५०%	18.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	बियाणे सुकवणी यार्ड १००० मे.टन क्षमतेसाठी	सामुदायिक	संख्या	५०%	16.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	बियाण्याची साठवण / गोदाम ७०० चौ.मी. (क्षमता १००० मे.टन)	सामुदायिक	संख्या	५०%	26.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	एकूण बियाणे हब-पायाभूत सुविधा विकास					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	एकूण आर्थिक						24.25	23.25	1.00					24.25	
	एकूण वैयक्तिक शेतकरी (रु. लाख)							23.25	1.00					24.25	
	एकूण गट/सामुदायिक/उत्पादक कंपनी (रु. लाख)														
	एकूण सार्वजनिक क्षेत्रावरील कामे (रु. लाख)														
टिप -	१. बावानिहाय डब्ल्युक शेतक-यांची यादी स्वतंत्र प्रपत्रात देण्यात यावी. २. फळवाग लागवड या बावी खाली सन २०२०-२१ मध्ये लागवड होणा-या पिक क्षेत्राचे द्वितीय व तृतीय वर्षांचे अनुदान सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षांमध्ये देय होईल. सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षांचा वार्षिक आरखडा तयार करतांना त्यामध्ये या द्वितीय व तृतीय वर्षांचे देय अनुदानाचा समावेश करावा														
								23.25	-	1.00	-	-	-	-	24.25